

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2017 सत्र
दैनिक कार्य सूची
बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2017 (आषाढ 28, 1939)
समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (क) शहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,
- (ख) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-2016,
- (ग) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016,
- (घ) बाणसागर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे :-

- (1) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5, दिनांक 18 मई, 2015,
- (2) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 18 मई, 2015,
- (3) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,
- (4) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 18 मई, 2015,
- (5) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12, दिनांक 18 मई, 2015,
- (6) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-4, दिनांक 18 मई, 2015,
- (7) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 18 मई, 2015,
- (8) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 04 जून, 2015,
- (9) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 27 जून, 2015,
- (10) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.- दिनांक 01 जुलाई, 2015,
- (11) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-13, दिनांक 25 जुलाई, 2015, (शुद्धि पत्र)
- (12) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11, दिनांक 25 जुलाई, 2015,
- (13) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 24 अगस्त, 2015, (शुद्धि पत्र)
- (14) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 10 सितंबर, 2015,
- (15) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 24 सितंबर, 2015,
- (16) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2, दिनांक 29 सितंबर, 2015,
- (17) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 29 सितंबर, 2015,
- (18) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015,
- (19) क्रमांक एफ 2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015,
- (20) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 02 नवम्बर, 2015,
- (21) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 04 जनवरी, 2016,
- (22) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 17 फरवरी, 2016,
- (23) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16, दिनांक 09 मार्च, 2016,
- (24) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 12 अप्रैल, 2016, (शुद्धि पत्र)
- (25) क्रमांक एफ 2-10-2016-61-लोसेप्र, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016,
- (26) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (27) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-28, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (28) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-27, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (29) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (30) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-25, दिनांक 24 जनवरी, 2017,
- (31) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (32) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-18, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (33) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-7, दिनांक 28 फरवरी, 2017,
- (34) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-30, दिनांक 09 मार्च, 2017,
- (35) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-31, दिनांक 09 मार्च, 2017,
- (36) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-29, दिनांक 09 मार्च, 2017,

- (37) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-26, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,
- (38) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-32, दिनांक 01 अप्रैल, 2017,
- (39) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21, दिनांक 29 मई, 2017,
- (40) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04, दिनांक 29 मई, 2017,
- (41) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-09, दिनांक 07 जून, 2017,
- (42) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15, दिनांक 07 जून, 2017,
- (43) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-24, दिनांक 07 जून, 2017,
- (44) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34, दिनांक 07 जून, 2017,
- (45) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35, दिनांक 07 जून, 2017,
- (46) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-36, दिनांक 07 जून, 2017,
- (47) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-37, दिनांक 07 जून, 2017,
- (48) क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38, दिनांक 07 जून, 2017,

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, इंदौर स्थित एम.वाय. अस्पताल में मरीजों की मौत होने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, नागदा शहर स्थित उद्योगों द्वारा स्थाई श्रमिकों से कार्य न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बम्हौरी में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,
 - (2) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले की ग्राम पंचायत सोन वर्षा ब्लाक नई गढी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (3) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले की सुहार नदी पर आलासूर सिमरिया पुल का निर्माण कराये जाने,
 - (4) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले की इमलिया-जेर-घाटपिपरिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
 - (5) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले की माचक उप नहर का विस्तार कराये जाने,
 - (6) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले में वीरपुर डेम के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान एवं कॉमर्स संकाय की कक्षाएं शुरू कराये जाने,
 - (7) श्री मुकेश पण्ड्या, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम कमानपुरा में सड़क का निर्माण कराये जाने,
 - (8) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में शासकीय कन्या हाई स्कूल खोलने,
 - (9) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के शिवाजी वार्ड में सी.सी. रोड, नाली एवं अन्य निर्माण कराये जाने,
 - (10) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम टिकरी से नरेला तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने,
 - (11) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम सैलारपुर से दवेरीहटाई तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने,
 - (12) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बरखेड़ी की शासकीय माध्यमिक शाला हेतु भवन निर्माण कराये जाने,
 - (13) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रतोदन बंजारा बस्ती में प्राथमिक शाला हेतु नवीन भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने,
 - (14) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम देवगढ़ बागचीनी कवारी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
 - (15) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर में शासकीय कालेज के पास स्थित तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने,
 - (16) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम जुझारी से मुख्य मार्ग तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने, तथा
 - (17) श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम मकरोनिया रजाखेड़ी क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में 05 सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2017

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.